रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 7—मार्च 13, 2015 (फाल्गुन 16, 1936)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7—MARCH 13, 2015 (PHALGUNA 16, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	155
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	217
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	485
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	177
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	25
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	243
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	155
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	217
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..................................	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	485
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories).........	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	177
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	25
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	243
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 17 फरवरी 2015

संकल्प

संख्या-ई.11015/1/2013-हिंदी —भारत सरकार ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। इस समिति के सदस्य और कार्य निम्नानुसार होंगे :-

माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री	-	अध्यक्ष
लोक सभा के सदस्य		
1. श्री अश्विनी कुमार प्लॉट नं.2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्प्लेक्स, रिंग रोड, वजीरपुर, नई दिल्ली-110035	-	सदस्य
2. श्री संजय (काका) रामचन्द्र पाटील 32, एम.पी. फ्लैट्स, मीना बाग, नई दिल्ली-110001	-	सदस्य
राज्य सभा के सदस्य		
3. श्री विजय गोयल 74, बाबर रोड, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001	-	सदस्य
4. श्री प्रेमचंद गुप्ता 18, तीन मूर्ति लेन, नई दिल्ली - 110011	-	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि		
5. डा. सुनील बलीराम गायकवाड. संसद सदस्य (लोक सभा) न्यू महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली-110001	-	सदस्य

6.	श्री बशिष्ठ नारायण सिंह संसद सदस्य (राज्य सभा) एबी-93, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110003	-	सदस्य

गैर सरकारी सदस्य

7.	डा. यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद 9-28-4, बालाजी नगर, विशाखापत्तनम-530003 आन्ध्र प्रदेश	-	सदस्य
8.	डा. मीनाक्षी स्वामी सी.एच.-78, एच.आई.जी. दीनदयाल नगर, सुखलिया, एम.आर.10, मेन रोड, इंदौर (म.प्र.)-452010		सदस्य
9.	डा. रामसजन पाण्डेय 'छाया' 1727, सेक्टर-2, रोहतक (हरियाणा) -124001	-	सदस्य
10.	श्री महेश चन्द्र शर्मा 62, विवेकानन्द पुरी, किशनगंज, नई दिल्ली-110007	-	सदस्य

स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि

11.	श्री श्याम सुंदर कथूरिया संगठन मंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स.वाई-68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023	-	सदस्य
12.	श्री विजय परदेशी मातृ-कृपा बिल्डिंग, फ्लैट नं. 11, दूसरा तल, परेल विलेज रोड, परेल, मुम्बई-400012 (महाराष्ट्र)	-	सदस्य

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित

13.	श्री अभिषेक गुप्ता कोठी नं. 123, ब्लॉक –सी, सेक्टर-51, नोएडा-201303	-	सदस्य

14.	श्री गजभान मुकुट शर्मा ओ-34, न्यू महावीर नगर, आउटर रिंग रोड, विकासपुरी, नई दिल्ली - 110018	-	सदस्य
15.	श्री संजीत बनर्जी 31, मीना बाग, नई दिल्ली-110001	-	सदस्य

पदेन सदस्य

16. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
17. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
18. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार
19. महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, मानेसर
20. रजिस्ट्रार, प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली
21. निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, नई दिल्ली
22. सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली
23. सचिव, कम्पनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली
24. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर पूर्व क्षेत्र), गुवाहाटी
25. क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण पूर्व क्षेत्र), हैदराबाद
26. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), नौएडा
27. क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई
28. क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता
29. क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम क्षेत्र), मुम्बई
30. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), अहमदाबाद

31.	संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय	-	सदस्य सचिव

समिति के कार्य

इस समिति का कार्य संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम/नियमों के उपबंधों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी निदेशों के कार्यान्वयन के बारे में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए सलाह देना है।

कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन संबंधी संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि :-

(1) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
(2) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही इस समिति के सदस्य रहेंगे।

(3) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान खाली होता है, तो उनके स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

यात्रा तथा दैनिक भत्ते

गैर-सरकारी सदस्यों को उनके निवास स्थान से बैठक के स्थान तक सबसे कम दूरी वाले रास्ते से उनकी पात्रता संबंधी दरों पर यात्रा भत्ता दिया जाएगा। उन्हें समिति की बैठक में शामिल होने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा।

मुख्यालय

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुरेश पाल
संयुक्त सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली–110003, दिनांक 18 फरवरी 2015

"ई-प्रमाण: ई-अधिप्रमाणन के लिए फ्रेमवर्क " के लिए मानक और विनिर्देश

सं. 3(60)/2012-ईजी II, चूंकि इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों के घर के निकट लाना है, जैसा कि एनईजीपी के विजन विवरण में स्पष्ट किया गया है: "सामान्य सेवा प्रदायगी केन्द्रों जरिए वहनीय लागत पर आम आदमी को उसके आस-पास सभी सार्वजनिक सरकारी सेवाओं तक पहुंच स्थापित करना और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है"।

और चूंकि, भारत सरकार के ऑनलाइन तथा मोबाइल आधारित सेवा प्रदायगी तंत्र से प्रयोक्ताओं की पहचान का इलेक्ट्रानिक अधिप्रमाणन की अनिवार्य हो गया है ताकि प्रत्येक सेवा अथवा लाभ सुरक्षित ढंग से उसके वास्तविक प्राप्तकर्ता तक पहुंच सके। प्रयोगकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से सरकारी वेबसाइटों का इलेक्ट्रानिक अधिप्रमाणन भी अनिवार्य हो गया है।

और चूंकि, "ई-प्रमाण: ई-अधिप्रमाणन के लिए फ्रेमवर्क " के अनुसार, देश में सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन तथा मोबाइल आधारित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए ई-अधिप्रमाणन तकनीकों का क्रमिक विकास या उन्हें अपनाने के लिए भारत सरकार को समर्थ बनाने हेतु ई-अधिप्रमाणन के लिए अच्छी तरह से निर्धारित मानक अनिवार्य हैं । इन मानकों का इस्तेमाल घटकों, एपीआई के विकास और साथ ही ई-प्रमाणन प्रणाली के लिए प्रोटोकोल के लिए किया जायेगा और सरकारी विभागों द्वारा ई-शासन सेवाओं की प्रदायगी के लिए अपनी स्वयं की प्रणालियों के लिए अधिप्रणामन प्रणालियों के निर्माण भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

और चूंकि, मानकों संबंधी सक्षम प्राधिकारी ने "ई-प्रमाण: ई-अधिप्रमाणन के लिए फ्रेमवर्क " के लिए मानक और विनिर्देश अनुमोदित कर दिए हैं।

अब यह विभाग एतद्द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सभी ई-शासन अनुप्रयोगों के लिए "ई-प्रमाण: ई-अधिप्रमाणन के लिए फ्रेमवर्क " हेतु मानक और विनिर्देश अधिसूचित करता है। मानकों को http://egovstandards.gov.in. से डाउनलोड किया जा सकता है।

कृष्णा बिदानी
उप निदेशक

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 17th February 2015

RESOLUTION

No.E.11015/1/2013-Hindi —The Government of India has decided to constitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Corporate Affairs. The Composition of the Samiti and its functions shall be as under:

Hon'ble Minister of Corporate Affairs		-	Chairman
Members of Lok Sabha			
1.	Shri Ashwini Kumar Plot No. 2, Printing Press Complex, Ring Road, Wazirpur, New Delhi-110035	-	Member
2.	Shri Sanjay (Kaka) Ramchandra Patil 32, M.P. Flats, Meena Bagh, New Delhi-110001	-	Member
Members of Rajya Sabha			
3.	Shri Vijay Goel 74, Babar Road, Bengali Market, New Delhi-110001	-	Member
4.	Shri Premchand Gupta, 18, Teen Murti Lane, New Delhi - 110011	-	Member
Representatives of Parliamentary Committee			
5.	Dr. Sunil Baliram Gaekwad Member of Parliament (Lok Sabha) New Maharashtra Sadan, New Delhi - 110001	-	Member
6.	Shri Bashisth Narayan Singh Member of Parliament (Rajya Sabha) AB-93, Shahjahan Road, New Delhi-110003	-	Member
Non-Official Members			
7.	Dr. Yarlagadda Lakshmi Prasad 9-28-4, Balaji Nagar, Vishakhapatnam (AP) 530003	-	Member
8.	Dr. Meenakshi Swami CH-78, HIG, Deendayal Nagar, Sukhliya, MR-10, Main Road, Indore (MP) - 452010	-	Member
9.	Dr. Ramsajan Pandey 'Chhaya' 1727, Sector-2, Rohtak (Haryana) 124001	-	Member
10.	Shri Mahesh Chandra Sharma 62, Vivekanand Puri, Kishanganj, New Delhi-110007	-	Member

Representatives of Voluntary Organisations

11.	Shri Shyam Sundar Kathuriya Sangathan Mantri, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi-110023	-	Member
12.	Shri Vijay Pardeshi Matri-Kripa Building, Flat No. 11, 2nd Floor, Parel Village Road, Parel, Mumbai (Maharashtra)-400012	-	Member

Nominated by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

13.	Shri Abhishek Gupta Kothi No. 123, Block-C, Sector-51, NOIDA-201303	-	Member
14.	Shri Gajbhan Mukut Sharma O-34, New Mahavir Nagar, Outer Ring Road, Vikaspuri, New Delhi-110018	-	Member
15.	Shri Sanjit Banerjee 31, Meena Bagh, New Delhi-110001	-	Member

EX-Officio Members

16. Secretary, Ministry of Corporate Affairs

17. Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

18. Secretary, D/o Official Language and Hindi Advisor to the Govt. of India

19. Director General & CEO, Indian Institute of Corporate Affairs, Manesar

20. Registrar, Competition Appellate Tribunal, New Delhi

21. Director, Serious Fraud Investigation Office, New Delhi

22. Secretary, Competition Commission of India, New Delhi

23. Secretary, Company Law Board, New Delhi

24. Regional Director (NER), Guwahati

25. Regional Director (SER), Hyderabad

26. Regional Director (NR), Noida

27. Regional Director (NWR), Ahmadabad

28. Regional Director (ER), Kolkata

29. Regional Director (SR), Chennai

30.	Regional Director (WR), Mumbai		
31.	Joint Secretary (In-charge Official Language) Ministry of Corporate Affairs	-	Member Secretary

FUNCTIONS OF THE SAMITI

The functions of the Samiti are to render advice in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language Hindi contained in the Constitution, Official Languages Act and Rules, and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Department of Official Language relating to Official Language Hindi and also in regard to the Progressive use of Hindi in the Ministry of Corporate Affairs.

TENURE

The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its constitution provided that :

A. A member, who is a Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.

B. Ex-officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

C. If a vacancy arises in the Samiti due to resignation, death etc. of the member, the member appointed on the vacancy shall hold office for the residual term of three years.

TRAVELLING AND DAILY ALLOWANCE

The Non-official members will be paid travelling allowance by shortest route from their residence to the place of meeting as per their entitlement. They will also be paid daily allowance on rates fixed by the Government of India from time to time.

HEADQUARTER

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but if considered necessary, it may hold its meetings at any other place also.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be Sent to all Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries and Department of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SURESH PAL
Joint Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi – 110003, the 18th February 2015

Standards and Specifications for "e-Pramaan: Framework for e-Authentication"

No. 3(60)/2012-EGII, WHEREAS Department of Electronics and Information Technology (DeitY), Ministry of Communications & Information Technology, Government of India (GoI), is implementing the National e-Governance Plan (NeGP) that aims to bring public services closer home to the people, as articulated in the Vision Statement of NeGP: "Make all Government services accessible to the common man in his locality, through common service delivery outlets, and ensure efficiency, transparency, and reliability of such services at affordable costs to realise the basic needs of the common man"

AND WHEREAS, the online and mobile based service delivery mechanisms of Government of India have necessitated electronic authentication of the identity of the users so that each service or benefit reaches its intended recipient in a secured manner. It has also necessitated electronic authentication of Government websites in order to build trust among the users.

AND WHEREAS, a well laid Standards for e-Authentication is essential for enabling the Government of India to progressively develop or adopt e-Authentication techniques to ensure secure online and mobile based delivery of public services in the country in accordance with the "e-Pramaan: Framework for e-Authentication". These standards will be used to

develop the components, APIs as well as the protocols for the e-Pramaan system and may also be used by government departments to build their own authentication systems for delivering e-Governance services.

AND WHEREAS, the Competent Authority on Standards has approved the Standards and Specifications for "e-Pramaan: Framework for e-Authentication".

NOW, this Department hereby notifies the Standards and Specifications for "e-Pramaan: Framework for e-Authentication" for all e-Governance Applications w.e.f. the date of notification. The Standard can be downloaded from http://egovstandards.gov.in.

KRISHNA BIDANI
Deputy Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I–SEC.1]—90 Copies